हुक्म		हुक्म की तामील में जारी हुए
	मूल वाद में जवाब में निहित है। मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री यशपाल गुप्ता, श्री तनवीर अहमद एडवोकेट का पेश किया हुआ है। अतः पत्रावली मूल वाद के साथ उभयपक्ष के वकील की उपस्थिति के पेश हो। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22-9-2020 को पेश हो।	
22-9-2020	पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13-10-2020 को पेश हो। श्रीमान जी जो साहब आज अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। आदेश	
13-10-2020	पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 03-11-2020 को पेश हो।	
03-11-2020	पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। श्रीमान जी जो साहब आज अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24-12-2020 को पेश हो। आदेश	
24-12-20	पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। श्रीमान जी जो साहब कार्य अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07-1-2021 को पेश हो। आदेश	
07-1-2021	पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15-1-2021 को पेश हो। श्रीमान जी जो साहब आज अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। आदेश	
15.01.21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। बार बार आवाज लगाने पर भी अधिवक्ता वादी अनुपस्थित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित है, उन्होंने लिखित में जवाब भी प्रस्तुत किया तथा बहस भी प्रस्तुत की। वक्त लिखने निर्णय अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आए। तथा बहस करने हेतु निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया की हमारा मूल दावा कृषि भूमि के बंटवारे का है। हम दोनों पक्षकार के संयुक्त खातेदारी की भूमियां अवस्थित हैं। हम मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी अलग-अलग कब्जा कर कृषि कार्य कर रहे हैं। उक्त कब्जा हमारे पारिवारिक व सामाजिक मूलत बंटवारे के अनुसार है। ये बार-बार हमारे कृषि अधिकारों में दखल देते हैं; अत: हमें मौके पर हमारी खेती में व्यवधान न करें, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी जारी करें जिससे हम शांतिपूर्ण काश्त कर सकें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया की प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थी सं. 1 से 5 रिकॉर्डेड खातेदार कृषक हैं। कोई हक सह खातेदार है तो हमारा सम्पूर्ण भूमि पर अधिकार है। बंटवारा का इनका दावा है उसमें निर्णय के अनुसार पालना कर ली जावेगी। विद्वान अधिवक्ता ने 2006(2) RRT 1410 की प्रति भी प्रस्तुत की साथ ही लिखित कथन भी प्रस्तुत किया। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की नजीर भी प्रस्तुत की तथा, कथन किया की रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। अत: प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। मैंने प्रस्तुत दस्तावेजों व बहस में दिये गये तर्कों पर मनन किया। प्रार्थी व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थी ने स्वीकार किया है की अप्रार्थी भी खातेदार कृषक है, तथा भूमी उनकी सामलाती तथा पुश्तैनी है। बटवारे का दावा भी चल रहा है। प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों के पक्ष में ऐसा कोई मजबूत साक्ष्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है की क्यों खातेदार को पाबन्द किया जाने की वे प्रार्थी को किस जगह/खाल पर कब्जे में दखल नही देवे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नंबर से कम की जावे। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।